भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

 **राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 2163

उत्‍तर देने की तारीख : 12 मई, 2016

**दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटों की संख्या में वृद्धि**

**2163. श्रीमती कनक लता सिंहः**

 **श्री विशम्भर प्रसाद निषादः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत एक दशक में दिल्ली विश्वविद्यालय में विभिन्न कोर्सों की सीटों में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रति वर्ष अध्ययन हेतु आवदेनों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, यदि हां, तो गत 5 वर्षों में ऐसे आवेदनों की संख्या कितनी रही है; और

(ग) क्या मंत्रालय दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटों की वृद्धि संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ताकि इस विश्वविद्यालय में अध्ययन के इच्छुक और अधिक विद्यार्थियों को अध्ययन का मौका मिल सके?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय ने सूचित किया है कि वर्ष 2006-07 से 2015-16 की अवधि के दौरान अवर स्‍नातक और स्‍नातकोत्‍तर पाठ्यक्रमों में दाखिला क्षमताएं क्रमश: 31,807 और 6,598 से बढ़कर 52,849 और 10,301 हो गई हैं।

(ख): विश्‍वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई उपलब्‍ध संकलित सूचना के अनुसार प्राप्‍त किए गए आवेदनों की संख्‍या निम्‍नलिखित है:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| वर्ष | अवर स्‍नातक पाठ्यक्रम | स्‍नातकोत्‍तर पाठ्यक्रम |
| 2012 | 1,96,751 | - |
| 2013 | 2,57,457 | - |
| 2014 | 2,78,485 | 99,276 |
| 2015 | 2,91,817 | 1,10,574 |

(ग): दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय एक सांविधिक स्‍वायत्‍त संस्‍था है जो संसद के अधिनियम द्वारा स्‍थापित है और दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय अधिनियम, 1922 और इसके तहत बनाई गई संविधियों और अध्‍यादेशों द्वारा अभिशासित होता है और यह सीटों की संख्‍या में वृद्धि सहित सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों में कार्रवाई करने में सक्षम है।

\*\*\*\*\*